न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 15 / 24 सन् 2024

GCMS NO-2024/ 81

बउनवानीः—1. रामबाबू मीना पुत्र कन्हैयालाल निवासी खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. उमाशंकर दत्तक पुत्र कल्याण मीना निवासी खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
2. काडी देवी पत्नि कल्याण मीना निवासी खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
3. मोजीराज पुत्र कन्हेया लाल मीना निवासी खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
4. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1197 / 2097 दिनांक 01.01.1983 वाके ग्राम खिलचीपुर तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री हरिशंकर बैरवा वकील अपीलान्ट

2. श्री विष्णु माथुर(नायब तहसीलदार) सरकार पैरोकार

—: निर्णय :— दिनांक 27.2.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1197 / 2097 निर्णय दिनांक 01.01.1983 वाके ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर की राजस्व सीमा मे स्थित आराजी हाल ख0न0 1875 रकबा 0.2200 है0, ख0न0 2061 रकबा 0.2000 है0, ख0न0 2065 रकबा 0.200 है0 ख0न0 3392 रकबा 1.2200 है0, ख0न0 3292 / 4863 रकबा 0.0100 है0, चाह, ख0न0 555 / 4826 रकबा 0.0100 है0 गै0मु0चाह, ख0न0 821 रकबा 0.6600 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.52है0 जिनके पुराने ख0न0 323 रकबा 0.66 है0,ख0न0 1177 रकबा 0.2200 है0, ख0न0 1147 रकबा 0.2000 है, ख0न0 1151 रकबा 0.2000 है0, ख0न0 2389 रकबा 1.22 है0 ख0न0 2299 रकबा 0.0100 है0, कन्हैया पुत्र बाल्या मीना के नाम खातेदारी मे इंद्राज रहा है। सन् 1983 मे स्व0 कन्हैया के निधन के पश्चात रेस्पो0 संख्या 4 ने राजस्व अभियान में हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विरासत का नामा0 दिनांक 1.1.1983 को खोला गया है तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खिलचीपुर ने स्व0 कन्हैया के वारिसान में अपीलान्ट का नाम रामबाबू के स्थान पर बाबूलाल लिखवा दिया जिसके आधार पर ही प्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम बाबूलाल दर्ज हो गया। अपीलान्ट के पिता कन्हैया की विरासत का नामा0 तीन पुत्र क्रमश कल्याण (फोत), बाबूलाल, मोजीराम के नाम खोला गया है। उपरोक्त सजरा मे बाबूलाल नाम का कोई पुत्र नही है इसके स्थान पर अपीलान्ट रामबाबू स्व0 कन्हैयालाल का पुत्र है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट ने अपने नाम की दुरूस्ती की हद तक अपील पेश की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 16:07:42 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर

यह तर्क भी दिया कि रेस्पो0 संख्या 4 ने बिना जॉच किये एवं कन्हैयालाल के अन्य वारिसान से जानकारी लिये सजरा बनाया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के आधार कार्ड, पेनकार्ड ,चुनाव पहचान पत्र, इत्यादि मे रामबाबू पुत्र कन्हैया लाल मीना अंकित है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी बैंक से ऋण लेने के लिए राजस्व रिकार्ड देखने पर प्राप्त हुई है। जानकारी से नकल प्राप्त करने अवधि को माफ करने हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश जैर अपील को निरस्त कर अपीलान्ट का नाम बाबूलाल के स्थान पर रामबाबू के नाम करवाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैरोकार राजस्व ने द्वौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में अपीलान्ट का नाम गलत होने की पुष्टि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड,पेनकार्ड, इत्यादि से हो जाती है। इसलिए मृतक कन्हैया के विधिक वारिसा अपीलान्ट के सही नाम की जॉच करवाया जाना उचित होगा।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि आदेश जैर अपील पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक कन्हैया के वारिसान के सही नाम की जॉच नही की गयी है ओर ना ही उनको सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपने सही नाम की पुष्टि हेतु सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (1197/2097 निर्णय दिनांक 01.01.1983 वाके ग्राम खिलचीपुर) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक कन्हेया लाल पुत्र बाल्या मीना के विधिक वारिसाान के सही नाम की जॉच करे एवं अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाकर अपने सही नाम से संबंधित साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जावे एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों को रिकार्ड पर लिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 13:07:42 IST
Reason: SelfAttested